THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) to (c). The information is not available with the Government of India and has been called for from the Orissa Government. The same will be laid on the table of the Sabha on receipt.

Scheme to Rehabilitate Physically Handicapped

6763. SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Social Welfare Department has any schemes to rehabilitate physically handicapped persons in the country;

(b) how many educated physically handicapped persons are there in the country;

(c) whether they have all been employed; and

(d) if not, the action of Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) Though no precise estimates are available, the total number of the blind, deaf and orthopaedically handicapped persons is about 120 lakhs. It is difficult to obtain information of the number of the educated physically handicapped persons.

(c) No, Sir.

(d) Several steps have been taken and are proposed to be intensified in the Fifth Plan to promote the employment of the physically handicapped. These include—

(1) Annual National Awards to outstanding employers of the handicapped and the most efficient handicapped employees by the President. 26 awards were given in 1974 as against 9 in 1973.

(2) Strengthening and expansion of the present eleven special employment exchanges which have found jobs for 11,464 physically handicapped persons, from 1959 to December, 1973.

(3) Proposal to offer further assistance to voluntary organisations for establishing sheltered workshops manned by various types of handicapped persons.

(4) Proposal to encourage the establishment of ancillary units manned by handicapped persons.

(5) Promote placement of the handicapped through voluntary effort.

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा रासायनिक खाद में मिलावट और कम तोल की सप्लाई के बारे में शिकायतें

6764. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि उर्वरक निगम द्वारा सप्लाई किये गये रासायनिक खाद में मिलावट तथा कम तौल रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग): जहां तक आयातित उर्वरकों में मिलावट का संबन्ध है, राज्य सरकारों से, इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। भावनगर बंदरगाह से पंजाब में भटिंडा में राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा प्राप्त उर्वरकों की कुछ बोरियों में मिलावट के बारे में दिसम्बर, 1973 के मध्य में पंजाब सरकार से एक शिकायत अवश्य प्राप्त हुई थी। यह शिकायत मिलने पर इस मन्त्रालय का एक अधिकारी इस मामले की मौके पर जांच करने के लिए तैनात किया गया था। इसकी जांच करने के लिए पंजाब सरकार ने भी एक समिति नियुक्त की थी और इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। भटिंडा में प्राप्त कुल 78,380 बोरियों में से इस समिति ने 70 बोरियों में मिलावट पाई थी। इस मंत्रालय के अधिकारी की जांच से पता चला था कि इन बोरियों में बुहारन मिला हुआ था जो कि जहाजों से उर्वरक निकालने के बाद आमतौर पर इकट्ठा किया जाता है। तथापि इस मामले में इन बोरियों में बुहारन के साथ धूल, कोयला, आदि जैसे पदार्थ भी मिले थे जिसके परिणामस्वरुप पोषक तत्वों की प्रतिशतता निर्धारित से कुछ कम हो गई थी। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि ये पदार्थ जान बूझ कर मिलाये गए थे। अशुद्ध और निष्क्रिय पदार्थों का मिश्रण भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों और स्टाफ द्वारा समुचित सावधानी न बरते जाने के कारण हुआ था। भारतीय खाद्य निगम ने कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में बोरियों को बन्द करने और उन्हें भेजने में ऐसी लापरवाही न हो।

जहां तक आयातित उर्वरकों की बोरियों का वजन कम होने का प्रश्न है, राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय खाद्य निगम ने कई बार कहा गया है कि वह इस बारे में अधिक सतर्कता बरते और स्थिति में सुधार लाये। बोरियों की कम तौल की समस्या बोरियों में बंद और खुले उर्वरकों के आयात, उसे संभालने तथा उसे उतारने के दौरान विभिन्न समस्याओं से जुड़ी हुई हैं ये समस्यायें हैं —जहाजों में और उतारते समय बोरियों का फट जाना, बन्दरगाहों पर मजदूरों द्वारा कांटों का अधिक प्रयोग खुले हुए उर्वरकों के मामले में यन्त्रों द्वारा उसे संभालने और भार के मानकीकरन व्यवस्था की कमी और बिलम्ब-शुल्क तथा घाट भाड़ा से छुटकारा पाने के लिए उर्वरकों को तेजी से बोरियों में भरने का प्रयास। इस समस्या का स्थायी हल यह है कि बदरगाहों पर उर्वरकों के उतरने और उसे संभालने का काम यन्त्रों द्वारा किया जाये। कांडला और हाल्दिया बदरगाहों पर ऐसी व्यवस्थायें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। पांचवीं योजना के दौरान मद्रास, विशाखा-पटनम और बम्बई के बन्दरगाहों पर भी ऐसी ही यांत्रिक व्यवस्थायें करने का प्रस्ताव है। इस दौरान अनेक बन्दरगाहों पर फोर्क-लिफ्ट ट्रकों, सिलाई करने वाली पोर्टेबल मशीनों, पूर्व निर्धारित वजन वाले तराजुओं और शूट बैगनों का प्रचलन किया गया है।

पंजाब सरकार से दिसम्बर, 1973 में मिली विशेष शिकायत के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित उद्देश्य के लिए तैनात भारत सरकार के अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा भटिंडा रेलवे स्टेशन पर 10 बोरियों की परीक्षण के तौर पर संयुक्त रुप से की गई आकसिमक जाच से पता चला था कि छह बोरिया अधिक भार की दो मानक भार की, एक कम भार की जिसमें 1 से 2 प्रतिशत तक की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत मामूली कमी थी और एक कम भार की थी। तथापि इन दस बोरियों का कुल भार मानक भार से अधिक था। भटिंडा में पंजाब राज्य निगम के गोदाम में 10 बोरियों का परीक्षण के तौर पर की गई एक ऐसी ही जांच में कुल मिला कर अधिक वजन पाया गया था। तथापि, एक

(रामपुराफूल) में बहुत कम वजन पाया गया था। किन्तु चूंकि इस मामले में रेलवे स्टेशन से माल प्राप्त करने के बाद 40 से 50 कि० मी० से भी अधिक की दूरी तक इसकी ढुलाई ट्रकों द्वारा की गई थी, अतः कमी सड़क से ढुलाई करने के दौरान हुई होगी क्योंकि भटिंडा रेलवे स्टेशन पर परीक्षण के तौर पर की गई जांच के दौरान इसमें कोई कमी नहीं पाई गई थी।

भारतीय खाद्य को निगम हिदायत दी गई है कि वह उर्वरक की बोरियों में सही भार के मानकीकरण में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करे। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मिलावट किए हुए और कम तौल के आयातित उर्वरकों की कथित सप्लाई के बारे में कोई औपचारिक जांच नहीं की गई है, किन्तु जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, पूछ-ताछ की गई है।

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न का उत्पादन

6765. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश, गजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ है : और

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में खाद्यान्नों का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

राज्य	उत्पादन (लाख मीटरी टनों में)		
	1970–71	1971–72	1972–73
मध्य प्रदेश .	109.2	116.3	106.7
गुजरात . .	44.1	42.2	22.1
उत्तर प्रदेश .	195.8	177.0	179.5
महाराष्ट्र . .	55.9	49.5	30.5
हरियाणा . .	47.5	45.5	39.5